UPBJ010033772020

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (प्रशांत मित्तल) उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06174

सेशन्स वाद संख्या: 708 सन् 2020

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन**

बनाम

वसीम पुत्र बाबू, निवासी– ग्राम भागूवाला, थाना मण्डावली, जिला बिजनौर।

.... **अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या– 65/2020
धारा– 08/21/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना–मण्डावली,
जिला–बिजनौर।

निर्णय

01• अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डावली, जिला बिजनौर द्वारा अपराध संख्या 65/2020 में आरोप पत्र संख्या 90/2020, अन्तर्गत धारा 8/21/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

02• संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप–निरीक्षक बलराम सिंह, थाना मण्डावली, बिजनौर द्वारा दिनांक 18–05–2020 को, थाना मण्डावली में फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि "दिनांक 18–05–2020 को मैं उ0नि0 बलराम सिंह मय हमराही कां0 892 शरद पंवार, कां0 1908 रोहित कुमार, कां0 1813 आदित्य कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं0–04 समय 00:40 बजे वास्ते देखरेख क्षेत्र शांति व्यवस्था ड्यूटी व संदिग्ध व्यक्ति की चैकिंग में मामूर थे तो जब हम पुलिस चौकी भागूवाला क्षेत्र से ग्राम श्यामीवाला से ग्राम भागूवाला में नहर पुलिया पर गश्त करते हुए पहुंचे और नहर पुलिया ग्राम भागूवाला पर ही हम पुलिस वाले खड़े होकर संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग करने लगे। कुछ समय बाद ही एक व्यक्ति ग्राम राजगढ़ की तरफ से पैदल–पैदल ही नहर पुलिया भागूवाला पर आया और अचानक हम पुलिस वालों को देखकर सकपकाकर पीछे मुड़कर भागने लगा। हम पुलिस वालों को इस व्यक्ति पर शक हुआ और करीब पुलिया से 50 कदम की दूरी पर ही घेर घोंट कर

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.08.19 17:04:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवश्यक बल प्रयोग कर हम पुलिस वालों ने करीब समय 01:57 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम वसीम पुत्र बाबू कुरैशी, निवासी– भागूवाला, थाना मण्डावली, जिला बिजनौर बताया। इसकी जामा तलाशी में पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक डिब्बा Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg Alpracad 0.5 लिखा मिला। डिब्बे के अन्दर पांच पत्ते एल्प्राजोलाम (करीब 250 गोली) तथा एक पत्ता जिसमें एल्प्राजोलाम की 40 गोली व एक पत्ता जिसमें 03 गोली कुल 293 गोली एल्प्राजोलाम की मिली तथा पहनी पेन्ट की बांयी जेब से एक पन्नी में रखा करीब 70 ग्राम एल्प्राजोलाम की गोलियों का पाउडर रखा मिला। एल्प्राजोलाम की गोली बरामद होने पर मुझ उ0नि0 द्वारा श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, नजीबाबाद को मौके पर बुलाने हेतु फोन नम्बर लगाया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद वाट्सअप पर लिखकर सूचना से अवगत कराया गया तथा पहनी पेन्ट की पीछे वाली जेब से 500 रुपये का एक नोट मिला। बरामद एल्प्राजोलाम की गोली व पाउडर रखने का लाईसेंस मांगा तो वसीम पुत्र बाबू उपरोक्त अपनी गलती मांगने लगा तथा लाईसेंस दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्त वसीम ने बताया कि मैं एल्प्राजोलाम की गोलियों का पाउडर बनाकर गांव में बेचता हूं। इसी प्रकार परिवार का पालन–पोषण हो जाता है। बरामद एल्प्राजोलम की गोलियों का एक पत्ता 10 गोली का तथा पाउडर में से थोड़ा पाउडर लेकर जांच नमूना के लिये अलग–अलग पाउडर को सफेद कागज में रखकर सफेद कपड़े में सील सर्वे मोहर किया गया तथा शेष बरामद माल को सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर लिया गया। बरामद एल्प्राजोलाम गोली के पाउडर को मौके पर ही इलैक्ट्रॉनिक कम्पैक्ट स्केल पर रखकर वजन किया गया तो पाउडर का वजन करीब 70 ग्राम मिला। गवाही हेतु जनता के गवाह तलाश करने का प्रयास किया गया तो रात्रि का वक्त होने के कारण कोई गवाह नहीं मिला। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 8/21/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 से अवगत कराते हुए हस्ब कायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी मीमो मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर उचित माध्यम से दी जायेगी। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 के द्वारा लिखकर सम्बन्धित को टॉर्चों की रोशनी में पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं। बरामद 500 रुपये के नोट को सफेद कागज में रखकर चिटबंदी किया गया।''

03• उक्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली, जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या 65/2020 अन्तर्गत धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी।

04• विवेचक द्वारा बाद विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी बनाया गया। वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा एकत्रित की गई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त वसीम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 65/2020, धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय

में प्रेषित किया गया।

05• अभियुक्त वसीम के विरूद्ध धारा 8/21/22 मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आरोप दिनॉक 23–12–2022 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

06• आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया है–

क्रम सं0	**साक्षी का नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**	**विवरण**
01.	उप–निरीक्षक बलराम सिंह	पी0डब्लू0–1	वादी मुकदमा
02.	कां0 आदित्य मलिक	पी0डब्लू0–2	तथ्यात्मक साक्षी
03.	सेवानिवृत्त हेड कां0 जसवीर सिंह	पी0डब्लू0–3	प्राथमिकी साक्षी
04.	उप–निरीक्षक सुनील कुमार	पी0डब्लू0–4	प्रथम विवेचक साक्षी
05.	हेड कां0 विपिन कुमार	पी0डब्लू0–5	तथ्यात्मक साक्षी
06.	सेवानिवृत्त उ0नि0 कुंवरपाल सिंह	पी0डब्लू0–6	द्वितीय विवेचक साक्षी

07• अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01.	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
02.	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1
03.	जी0डी0 रवानगी	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–1
04.	माल रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–1
05.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–3
06.	कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–3
07.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–4
08.	प्राप्ति रसीद	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–5
09.	विधि विज्ञान प्रयोगशाल की रिपोर्ट	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–6

10.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–6

08• अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**वस्तु प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01.	29 अदद रैपर	वस्तु प्रदर्श–1 ता 29	पी0डब्लू0–1
02.	एक अदद कागज का डिब्बा	वस्तु प्रदर्श–30	पी0डब्लू0–1
03.	कपड़ा पुलिन्दा	वस्तु प्रदर्श–31	पी0डब्लू0–1
04.	एक अदद रैपर	वस्तु प्रदर्श–32	पी0डब्लू0–1
05.	कपड़ा पुलिन्दा	वस्तु प्रदर्श–33 व 34	पी0डब्लू0–1
06.	पारदर्शी पन्नी	वस्तु प्रदर्श–35	पी0डब्लू0–1
07.	कपड़ा पुलिन्दा	वस्तु प्रदर्श–36 ता 38	पी0डब्लू0–1

09• अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना व साक्षियों के बयानों को गलत बताते हुये मुकदमा प्रधान से कहन–सुनन होने के कारण झूँठा चलना तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया, परन्तु कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

10• मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

11• अभियोजन द्वारा दिनांक 18–05–2020 को समय 01:57 बजे, वहद स्थान नहर पुलिया भागूवाला, थाना–मण्डावली, जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से कुल 293 प्रतिबंधित नशीली गोलियां Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg Alpracad 0.5 तथा 70 ग्राम एल्प्राजोलाम की गोलियां का पाउडर बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में 06 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है।

12• साक्षी **पी0डब्लू0–1 उप–निरीक्षक बलराम सिंह,** जो कि इस अभियोग का वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनांक 18.05.2020 को थाना मण्डावली में एस0आई0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैं एस0आई0 मय हमराही कां0 892 शरद पवार, कां0 908 रोहित कुमार व कां0 1813 आदित्य कुमार

के थाना हाजा से रपट नं0 4, समय 00:40 बजे वास्ते देखरेख क्षेत्र शान्ति व्यवस्था ड्यूटी संदिग्ध व्यक्ति की चैकिंग के मामूर थे। जब हम पुलिस वाले भागूवाला क्षेत्र से ग्राम श्यामीवाला से ग्राम भागूवाला में नहर पुलिया पर गश्त करते हुए पहुंचे और नहर पुलिया ग्राम भागूवाला पर ही हम पुलिस वाले खड़े होकर संदिग्ध व्यक्तियों की चैंकिग करने लगे। कुछ समय बाद ही एक व्यक्ति ग्राम राजगढ़ की तरफ से पैदल–पैदल ही नहर पुलिया भागूवाला पर आया और अचानक हम पुलिस वालों को देखकर से सकपकाकर पीछे मुड़कर भागने लगा। हम पुलिस वालों को इस व्यक्ति पर शक हुआ और करीब 50 कदम की दूरी पर ही घेर–घोटकर आवश्यक बल प्रयोग कर हम पुलिस वालों ने करीब समय 01:57 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम वसीम पुत्र बाबू कुरैशी, निवासी भागूवाला, थाना–मण्डावली, जिला बिजनौर बताया। इसकी जामा तलाशी में पहनी पेंट की दाहिनी जेब से एक डिब्बा ALPRAZOLAM TABLETS I.P. ALPRACAD 0.5 लिखा मिला। डिब्बे के अन्दर पांच पत्ते ALPRAZOLAM करीब 250 गोली तथा एक पत्ता जिसमें ALPRAZOLAM की 40 गोली व एक पत्ता जिसमें 03 गोली कुल 293 गोली ALPRAZOLAM की मिली तथा पहनी पेण्ट की बांयी जेब से एक पन्नी में रखा करीब 70 ग्राम ALPRAZOLAM की गोलियों का पाउडर रखा मिला। ALPRAZOLAM की गोली बरामद होने पर मुझ उ0नि0 द्वारा श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय नजीबाबाद को मौके पर बुलाने हेतु फोन नंबर लगाया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद व्हाटसप पर लिखकर सूचना से अवगत कराया गया तथा पहनी पेंट की पीछे वाली जेब से 500/– रूपये का एक नोट मिला। बरामद ALPRAZOLAM की गोली व पाउडर रखने का लाईसेंस मांगा तो वसीम पुत्र बाबू उपरोक्त अपनी गलती मांगने लगा तथा लाईसेंस दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्त वसीम ने बताया कि मैं ALPRAZOLAM की गोलियों का पाउडर बनाकर गांव में बेचता हूं। इसी प्रकार परिवार का पालन–पोषण हो जाता है। बरामद ALPRAZOLAM की गोलियों का एक पत्ता 10 गोली का तथा पाउडर में से थोड़ा पाउडर लेकर जांच नमूना के लिए अलग–अलग पाउडर को सफेद कागज में रखकर सफेद कपड़े में सील सर्वे मोहर किया गया तथा शेष बरामद माल को सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर किया गया। बरामद ALPRAZOLAM गोली के पाउडर को मौके पर ही इलैक्ट्रॉनिक कॉम्पेक्ट स्केल पर रखकर वजन किया तो पाउडर का वजन करीब 70 ग्राम मिला। गवाही हेतु जनता के गवाह तलाश करने का प्रयास किया गया तो रात्रि का वक्त होने के कारण कोई गवाह नहीं मिला। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा–08/21/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से अवगत कराते हुए हस्ब कायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश–निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी मैमो मौके पर तैया किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर उचित माध्यम से सूचना दे दी गयी थी। फर्द मौके पर मुझ एस0आई0 द्वारा लिखकर सम्बन्धित को टॉर्च की रोशनी में पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। बरामद 500/– रूपये के नोट को सफेद कागज में रखकर चिटबन्दी किया गया। फर्द की एक प्रति अभियुक्त

को देकर उसके अलामात बनवाये गये। फर्द मूल रूप से पत्रावली पर कागज सं0 क–7 पर मौजूद है। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही फर्द है जो कि मैंने अभियुक्त वसीम को गिरफ्तारी के वक्त मौके पर अपने हस्त व लेख में तैयार कर हमराहीयान कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराये थे, जिस पर मेरे दिनांक सहित हस्ताक्षर हैं जिस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं0 क–9 पर मूल रूप से मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। जी0डी0 रवानगी पत्रावली पर कागज सं0 ख–44 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया। उपरोक्त मुकदमे से संबंधित माल जो कि थाना मण्डावली में एच0एम0 द्वारा माल रजिस्टर में दाखिल किया गया था, उस रजिस्टर की छायाप्रति जो कि थाने द्वारा प्रमाणित है जो कि पत्रावली पर कागज सं0 ख–45 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। न्यायालय के सामने चार सील बन्द लिफाफे आये और न्यायालय के आदेशानुसार खोले गये। पहला बण्डल सील खोला तो जिसमें से कागज का डिब्बा निकला कागज के डिब्बे के अन्दर से 10 गोलियों के 28 रेपर व 3 गोलियों का एक रेपर निकला। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही ALPRAZOLAM की 293 टेबलेट है जोकि मैंने अभियुक्त वसीम से बरामद की थी, जिसमें से 10 गोलियाों का एक रेपर परीक्षण हेतु अलग निकाला था। रेपर पर **वस्तु प्रदर्श 1 ता 29** अंकित किया गया। कागज के डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श 30** अंकित किया गया। सफेद कपड़े में जिसमें माल सील सर्वे किया गया था, उस पर **वस्तु प्रदर्श 31** अंकित किया गया। दूसरी सील सर्वे पुलिन्दा जोकि परीक्षण हेतु विधि विज्ञान मुरादाबाद भेजा गया था, खोला जिसमें से सफेद रंग के पेपर का लिपटा हुआ 10 गोलियों का एक रेपर निकला जिस रेपर में 5 गोलियां मौजूद मिली तथा शेष परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 मुरादाबाद में उपयोग में ली गयी। रेपर पर **वस्तु प्रदर्श–32** जिस सफेद कपड़े में **वस्तु प्रदर्श–33,** माल को जिस सफेद कपड़े में सील सर्वे किया गया था उस पर **वस्तु प्रदर्श–34** अंकित किया गया। तीसरा सील सर्वे पुलिन्दा खोला गया उसके अन्दर से सफेद रंग की पारदर्शी निकली पॉलोथीन में अन्दर रखा गुलाबी रंग का गोलियां का पिसा हुआ पाउडर निकला। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही पाउडर है जोकि मैंने वसीम को ALPRAZOLAM के साथ बरामद किया था, जिसमें से 10 ग्राम परीक्षण हेतु अलग निकाला था। सफेद पारदर्शी पन्नी पर जिसमें माल है उस पर **वस्तु प्रदर्श–35** माल को जिस सफेद कपड़े में सील सर्वे किया गया था, उस पर **वस्तु प्रदर्श–36,** चौथा सील सर्वे पुलिन्दा जोकि परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 मुरादाबाद भेजा गया था, जिसमें से सफेद रंग के पेपर में गुलाबी कलर का पदार्थ निकला जोकि ALPRAZOLAM का पाउडर है। पाउडर जिस सफेद रंग के कपड़े में है उस पर **वस्तु प्रदर्श–37** अंकित किया गया तथा माल को जिस सफेद कपड़े में सील किया गया था उस पर **वस्तु प्रदर्श–38** अंकित किया गया।''

13• साक्षी **पी0डब्लू0–2 कां0 आदित्य मलिक,** जो कि इस अभियोग के बरामदगी के अन्य साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मैं दिनांक 18.05. 2020 को थाना–मण्डावली में कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। उस दिन

मैं एस0आई0 बलराम सिंह, कां0 892 शरद पवार व कां0 1908 रोहित कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट सं0 4, समय 00:40 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था डयूटी व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति जब हम पुलिस चौकी क्षेत्र से ग्राम श्यामवाला से ग्राम भागूवाला में बाहर पुलिया पर गश्त करते हुए पहुंचे थे और नहर पुलिया पर ही हम पुलिस वाले खड़े होकर चैकिंग करने लगे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति पैदल–पैदल ही नहर पुलिया भागूवाला पर आया और अचानक हम पुलिस वालों को देखकर सकपकाकर पीछे मुड़कर भागने लगा। हम पुलिसवालों ने आवश्यक बल का प्रयोग कर समय 01:57 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम वसीम पुत्र बाबू कुरैशी, निवासी भागूवाला, थाना–मण्डावली बताया। इसकी जामा तलाशी में पहनी पेंट की दाहिनी जेब से एक डिब्बा ALPRAZOLAM TABLET ALPRACAD 0.5 लिखा मिला। डिब्बे के अन्दर पांच पत्ते ALPRAZOLAM करीब 250 गोली व एक पत्ता जिसमें ALPRAZOLAM की 40 गोली व एक पत्ता जिसमें 3 गोली कुल 293 गोली ALPRAZOLAM की मिली तथा पहनी पेंट की बांयी जेब से एक पन्नी से करीब 70 ग्राम ALPRAZOLAM गोली का पाउडर मिला। इस पर एस0आई0 बलराम यादव ने सी0ओ0 महोदय नजीबाबाद को मौके पर फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं मिला। अभियुक्त की पहनी पेंट की पीछे वाली जेब से 500/– रुपये का नोट मिला। बरामद ALPRAZOLAM की गोली का एक पत्ता तथा पाउडर में से थोड़ा पाउडर लेकर जांच नमूने के लिए अलग–अलग पाउडर को कागज कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया तथा शेष बरामद माल को सील सर्वे मोहर किया गया। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा–8/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द मौके पर एस0आई0 बलराम सिंह द्वारा टॉर्च की रोशनी में लिखकर हम हमराहीयान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये थे। फर्द पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं, जिस पर फर्द पर मेरे हस्ताक्षर हैं वह पत्रावली पर मूलरूप में कागज सं0 क–7 पर मौजूद है।''

14• साक्षी **पी0डब्लू0–3 सेवानिवृत्त हेड कां0 जयवीर सिंह,** जो इस अभियोग का प्राथमिकी का साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मैं दिनांक 18.05.2020 को थाना मण्डावली में एच0एम0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मुकदमा अपराध सं0–65/2020, धारा–08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–मण्डावली, सरकार बनाम वसीम के विरूद्व फर्द के आधार पर फर्द का शब्द व शब्द बोलकर कम्प्यूटर पर कां0 1745 राजीव कुमार से टंकित कराया था, जिसकी चिक एफ0आई0आर0 की कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–6/1 ता 6/2 पर मौजूद है जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के कार्यालय की मोहर सहित हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। मुकदमें का खुलासा उसी दिन दिनांक 18.05.2020 को समय 3:47 बजे जी0डी0 नं0–6 पर किया था जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–10 पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया।''

15• साक्षी **पी0डब्लू0–4 उप–निरीक्षक सुनील कुमार** जो कि इस अभियोग का प्रथम विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनांक 18.05.2020 को थाना मण्डावली में एस0आई0 के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मुकदमा अपराध सं0–65/2020, धारा–08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–मण्डावली, सरकार बनाम वसीम की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 18.05.2020 को सी0डी0–1 में नकल चिक, नकल रपट, बयान, एफ0आई0आर0 लेखक, बयान एस0आई0 बलराम सिंह, अभियुक्त वसीम के बयान सी0डी0 में अंकित किये तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त का 14 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 19.05.2020 को सी0डी0–2 में बयान गवाह कां0 892 शरद पवार, रोहित 1708 के बयान सी0डी0 में अंकित किये तथा रोहित 1708 के बयान सी0डी0 में अंकित किये तथा कां0 शरद पवार की निशानदेही पर तथा मौके पर साथ ले जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर अपने हस्तलेख में नक्शा–नजरी तैयार किया जो पत्रावली पर क–4 पर मूल रूप से मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिस पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। दिनांक 04.06.2020 को सी0डी0–3 में गवाह कां0 1813 के ब्यान सी0डी0 में अंकित किये तथा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित माल सील बन्द अवस्था में परीक्षण हेतु कां0 विपिन द्वारा एफ0एस0एल0 मुरादाबाद में क्रमांक सं0 1208/एन0ए0आर0/2020 दिनांक 04.06.2020 को माल दाखिल कराया। दाखिले की प्राप्ति रसीद का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया। दिनांक 01–07–2020 को सी0डी0–4 में उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल की रिपोर्ट हेतु स्मृति पत्र का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया गया।''

16• साक्षी **पी0डब्लू0–5 हेड कांस्टेबिल विपिन कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मैं दिनांक 04.06.2020 को थाना मण्डावली में कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। उस दिन मैं उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद में क्रमांक सं0 1208/एन0ए0आर0/2020 पर 04–06–2020 दाखिल करके आया था। दाखिले की प्राप्त रसीद लाकर थाने पर एच0एम0 को दी थी, जो पत्रावली पर कागज सं0 ख–11/14 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–8** अंकित किया गया।''

17• साक्षी **पी0डब्लू0–6 उप–निरीक्षक कुंवरपाल सिंह,** जो इस अभियोग का द्वितीय विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, ''मैं दिनांक 17.07.2020 को थाना–मण्डावली में एस0आई0 के पद पर तैनात था। उस दिन उपरोक्त मुकदमें की विवेचना एस0आई0 सुनील कुमार के जी0आर0पी0 में स्थानान्तरण होने के कारण मुझ एस0आई0 को प्राप्त हुई थी। दिनांक 17.07.2020 को सी0डी0–6 में एस0आई0 सुनील कुमार द्वारा की गयी। विवेचना का अवलोकन कर नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी व अभियुक्त संलग्न सी0डी0 किया तथा उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 मुरादाबाद में कां0 156 विपिन कुमार के द्वारा दिनांक 04–06–2020 क्रमांक सं0 1208/एन0ए0आर0/2020 के दाखिले का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया तथा उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल की परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया, जिसकी एफ0एस0एल0 रिपोर्ट पत्रावली

पर कागज सं0 क–8 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया तथा तमामी विवेचना के आधार पर वादी बयान, बयान गवाहान, नक्शा नजरी की विवेचना एस0आई0 सुनील कुमार द्वारा की गयी थी व एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा अपराध सं0–65/2020, धारा–21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–मण्डावली, सरकार बनाम वसीम के विरूद्व दिनांक 17.07.2020 को आरोप पत्र सं0 90/2020 न्यायालय को प्रेषित किया जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर क–3/1 ता 3/2 पर मौजूद है, जिस पर मेरे व तत्कालीन थाना प्रभारी व सी0ओ0 नजीबाबाद के हस्ताक्षर हैं जिस पर **प्रदर्श क–10** अंकित किया गया।''

18• अभियोजन की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि दिनांक 18–05–2020 को समय 01:57 बजे, वहद स्थान नहर पुलिया भागूवाला, थाना–मण्डावली, जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से कुल 293 प्रतिबंधित नशीली गोलियां Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg Alpracad 0.5 तथा 70 ग्राम एल्प्राजोलाम की गोलियो का पाउडर बरामद किया गया है, जिसे रखने का अभियुक्त के पास कोई लाईसेंस नहीं पाया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथन का पूर्ण समर्थन करते हुए अभियुक्त से की गई बरामदगी व समस्त अभियोजन प्रपत्रों, बरामद माल व नमूना माल को विधिवत साबित किया है तथा अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कोई ऐसा मुख्य विरोधाभाष नहीं है जिससे अभियोजन कथन या अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य संदिग्ध होती हो। वादी मुकदमा द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का भी पालन किया गया है। अभियुक्त से बरामद माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में नमूना माल का एल्प्राजोलाम होना पाया गया है। प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन, अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्व किया जाए।

19• अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि पुलिस द्वारा अपना गुडवर्क दिखाने के लिए उसे झूॅठा फंसाया गया है तथा उससे कोई एलप्राजोलाम की बरामदगी नहीं हुई है। वादी मुकदमा द्वारा धारा 50, 52 व 52ए एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है व अभियुक्त को तलाशी हेतु किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा उसे घर से बुलाकर झूॅठा चालान किया गया है। साथ ही अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर घोर विरोधाभाष है। अभियोजन द्वारा बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य से तथा वादी मुकदमा द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो का अनुपालन न करने से, अभियुक्त पर लगाया गया आरोप, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

20• अभियोजन द्वारा दिनांक 18–05–2020 को समय 01:57 बजे, नहर पुलिया भागूवाला, थाना–मण्डावली, जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत अभियुक्त

वसीम को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से कुल 293 प्रतिबंधित नशीली गोलियां Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg Alpracad 0.5 तथा 70 ग्राम एल्प्राजोलाम की गोलियों का पाउडर बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 02 तथ्यात्मक साक्षियो को प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी मुकदमा व बरामदगी के साक्षी उपनिरीक्षक बलराम सिहॅ को बतौर पी0डब्लू–1 एवं बरामदगी के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी कां0 आदित्य मलिक को बतौर पी0डब्लू–2 परीक्षित कराया है। उपरोक्त दोनों साक्षियो ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को दिनॉक 18–05–2020 को शक के आधार पर गिरफ्तार करना, अभियुक्त द्वारा सहमति दिए जाने पर उसकी जामा तलाशी से 293 गोली ALPRAZOLAM TABLETS IP ALPRACAD 0.5 की प्रतिबंधित नशीली गोलियां 70 ग्राम ALPRAZOLAM का पाउडर बरामद होना, बरामद माल को मौके पर सील किया जाना तथा बरामद गोलियो में से रैपर सहित 10 गोलियो व थोडा सा पाउडर को बतौर नमूना माल तैयार कर, सील, सर्वे मुहर करना, बरामदगी की फर्द मौके पर तैयार कर अपने हमराहीयान व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराना व गिरफ्तारी मैमो प्रपत्र तैयार करना, कथित किया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 द्वारा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में, रवानगी की जी0डी0 को प्रदर्श क–3 के रूप में, माल रजिस्टर की छाया प्रति को प्रदर्श क–4 के रूप में एवं बरामद माल को न्यायालय के समक्ष खोले जाने पर 29 अदद रैपर को वस्तु प्रदर्श–1 ता वस्तु प्रदर्श–29, एक अदद कागज के डिब्बे को वस्तु प्रदर्श–30, कपडा पुलिंदा को वस्तु प्रदर्श–31, एक अदद रैपर को वस्तु प्रदर्श–32, कपडा पुलिंदा को वस्तु प्रदर्श–33 व वस्तु प्रदर्श–34, पारदर्शी पन्नी को वस्तु प्रदर्श–35 व कपडा पुलिंदा को वस्तु प्रदर्श–36 ता वस्तु प्रदर्श–38 के रूप में साबित किया है, परन्तु अभियुक्त से दर्शित बरामदगी संदिग्ध हो रही है, क्योंकि अभियोजन की ओर से नमूना मुहर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया व ना ही साबित कराया गया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 9 पर उपरोक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि ''यह बात सही है कि नमूना ना ही मेरे सामने है ना ही फाईल पर है।'' उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन द्वारा नमूना मुहर को न्यायालय में प्रस्तुत ना करने से, अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है।

21• अभियुक्त से दर्शित बरामदगी इसलिए भी संदिग्ध हो रही है, क्योंकि फर्द बरामदगी व वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त से ALPRAZOLAM TABLETS IP ALPRACAD 0.5 की 293 गोलियां व 70 ग्राम एल्प्राजोलाम गोलियो का पाउडर बरामद होना कथित किया गया है जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला को ALPRAZOLAM TABLETS IP .5 mg ALPRASAFE 0.5 के नाम की गोलियां परीक्षण हेतु भेजी गयी जिससे स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना माल वह माल नहीं था जो कि अभियुक्त से मौके पर बरामद किया गया था। उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्त से बरामद माल व परीक्षण हेतु भेजे गये माल में भिन्नता होने से अभियुक्त से दर्शित बरामदगी व

अभियोजन कथन पुनः संदिग्ध हो रहा है।

22• अभियोग की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में अभियुक्त को शक के आधार पर दिनॉक 18–05–2020 को समय 01:57 बजे गिरफ्तार करना व उसकी जामा तलाशी लेकर अवैध नशे की गोलियॉ व पाउडर बरामद होना अंकित है, परन्तु उपरोक्त फर्द बरामदगी व अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू–1 व 2 की साक्ष्य में अभियुक्त को उसके धारा 50 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के अधिकार के बारे में बताने के संबंध में कोई कथन नहीं आया है। साथ ही वादी मुकदमा द्वारा कोई सहमति पत्र भी मौके पर नहीं बनाया गया है व ना ही पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा ने अपनी जिरह के पृष्ठ सं0 9 पर यह कहा है कि ''तलाशी लेने के लिए अनुमति पत्र नहीं लिया था।'' उपरोक्त परिस्थिति में वादी मुकदमा द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत सहमति पत्र ना बनाया जाना व अभियुक्त को उसके तलाशी संबंधित अधिकार के बारे में न बताया जाना यह स्पष्ट करता है कि वादी मुकदमा द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थति में भी अभियुक्त से दर्शित बरामदगी व अभियोजन कथन पुनः संदिग्ध हो रहा है।

23• अभियोजन द्वारा दिनांक 18–05–2020 को समय 01:57 बजे, वहद स्थान नहर पुलिया भागूवाला, थाना–मण्डावली, जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से कुल 293 प्रतिबंधित नशीली गोलियां Alprazolam Tablets I.P. 0.5 mg Alpracad 0.5 तथा 70 ग्राम एल्प्राजोलाम की गोलियां का पाउडर बरामद होना कथित किया गया है तथा जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि अभियोजन द्वारा नमूना मुहर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने से तथा अभियुक्त से बरामद माल, वादी मुकदमा द्वारा आज्ञापक प्रावधानो का अनुपालन ना करने से, परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गये माल में भिन्नता होने से, अभियुक्त से की गई बरामदगी व अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है व दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

24• अभियुक्त वसीम को सेसन्स वाद सं0 708/2020, मुकदमा अपराध संख्या 65/2020, अन्तर्गत धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, थाना मण्डावली, जिला बिजनौर में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

25• अभियुक्त जमानत पर उपस्थित है। उसके जमानतनामें तथा व्यक्तिगत

बन्धपत्र निरस्त किए जाते है तथा जमानतदारो को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

26• अभियुक्त धारा 437 ए. दं0प्र0सं0 के तहत बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एंव समान राशि की दो जमानते अन्दर सात दिन इस आशय से दाखिल करेगा, कि अपील होने पर यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे तलब किया जाये तो वह अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगा।

27• बरामदशुदा माल बाद म्याद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

दिनांकः 19–08–2026

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।

28• यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एव दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 19–08–2026

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।